भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2094

01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

वन हर्ब, वन स्टैंडर्ड पहल

2094. श्री नलिन सोरेन:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "वन हर्ब, वन स्टैंडर्ड" पहल को बढ़ावा देने और उसे सरल बनाने के लिए अंतर-मंत्रालयी सहयोग हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन सी आयुष योजनाएं तैयार की गई हैं/तैयार की जा रही हैं;

(ख) क्या इस पहल से हर्बल औषधियों के मानकीकरण का मार्ग प्रशस्त होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे देश में हर्बल क्षेत्र में व्यापार करने में किस प्रकार सुगमता में वृद्धि होने की संभावना है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): 'एक जड़ी-बूटी, एक मानक' के अंतर्गत आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया (एपीआई), सिद्ध फार्माकोपिया ऑफ इंडिया (एसपीआई), यूनानी फार्माकोपिया ऑफ इंडिया (यूपीआई), होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया (एचपीआई) और भारतीय फार्माकोपिया (आईपी) के माध्यम से प्रकाशित/प्रकाशित होने वाले सभी मोनोग्राफों को एक समान बनाने का कार्य शुरू किया है।

इस संबंध में, आयुष मंत्रालय के तहत भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएम एंड एच) और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत भारतीय फार्माकोपिया आयोग (आईपीसी) ने दिनांक 30 अगस्त, 2022 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे "एक जड़ी बूटी-एक मानक" के प्रचार और उसे सुविधाजनक बनाने के लिए दिनांक 6 अगस्त, 2024 को नवीनीकृत किया गया था।

(ख): जी हां, एक जड़ी-बूटी-एक मानक का मुख्य उद्देश्य आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया (एपीआई), सिद्ध फार्माकोपिया ऑफ इंडिया (एसपीआई), यूनानी फार्माकोपिया ऑफ इंडिया (यूपीआई), होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया (एचपीआई) और भारतीय फार्माकोपिया (आईपी) में प्रकाशित, एक जड़ी-बूटी के लिए अलग-अलग मानकों को किसी एक सामंजस्यपूर्ण एकल मोनोग्राफ में एक समान बनाना है ताकि "एक जड़ी-बूटी, एक मानक" के विचार को साकार किया जा सके।

(ग): इससे व्यापार में सुधार होगा और वृद्धि होगी, क्योंकि एक मानक जड़ी-बूटी, गुणवत्ता में भिन्नता के बिना उपलब्ध होगी।

*****